भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 794
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की संख्या

794. श्री वरुण चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा में जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या कितनी है ;

(ख) सम्पूर्ण देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायालय परिसरों, न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों की वर्तमान आवश्यकता संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सम्पूर्ण देश के जिला न्यायालयों में से कितने न्यायालयों को समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की जानी है ;

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान हरियाणा में न्यायिक अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्र सरकार से वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई ; और

(ङ) सरकार द्वारा न्यायालय परिसरों को गोलीबारी और अन्य घटनाओं से सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : 04.02.2025 तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 85 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 51 न्यायाधीश कार्यरत हैं । न्याय विभाग के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल के अनुसार, हरियाणा के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की 781 की स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 551 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं ।

(ख) : 31.01.2025 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयों की आवश्यकता का विवरण उपाबंध-क में दिया गया है ।

(ग) : राष्ट्रीय ई-शासन योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । परियोजना के पहले चरण के दौरान, 488 न्यायालय परिसरों और 342 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू की गई है । परियोजना के ई-न्यायालय के दूसरे चरण में, तालुक स्तर के न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों को प्रत्येक को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण प्रदान किया गया है और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण के लिए निधि मंजूर की गई है । 2506 वीसी केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं । 3240 न्यायालय

परिसरों और तत्स्थानी 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं पहले से ही सक्षम हैं । ई-न्यायालय तीसरे चरण के अधीन, 500 जेलों, 700 जिला सरकारी अस्पतालों और 9000 न्यायालयों सहित 10200 प्रतिष्ठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए 228.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

(घ) : पिछले दस वर्षों में हरियाणा में न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए संघ सरकार से केन्द्रीय सहायता के आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा उपाबंध ख पर है ।

(ङ) : न्यायालय परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ न्यायाधीशों की सुरक्षा और संरक्षा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में है ।

****

उपाबंध-क

31.01.2025 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयों की आवश्यकता:

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत संख्या	कुल न्यायालय हॉल	आवश्यक न्यायालय हॉल	निर्माणाधीन न्यायालय हॉल*	कुल आवासीय इकाइयां	आवश्यक आवासीय इकाइयाँ	निर्माणाधीन आवासीय इकाइयां*
1	अंडमान और निकोबार**	0	15	-15**	0	11	-11**	0
2	आंध्र प्रदेश	639	658	-19^	81	648	-9^	14
3	अरुणाचल प्रदेश	44	34	10	5	32	12	2
4	असम	485	422	63	72	381	104	19
5	बिहार	2019	1636	383	207	1217	802	296
6	चंडीगढ़	30	31	-1^	1	30	0	0
7	छत्तीसगढ़	663	495	168	73	473	190	788
8	दादरा और नागर हवेली	3	3	0	0	3	0	0
9	दमन और दीव	4	5	-1^	3	5	-1^	0
10	दिल्ली	897	697	200	0	344	553	70
11	गोवा	50	50	0	33	20	30	1
12	गुजरात	1720	1509	211	106	1360	360	331
13	हरियाणा	781	583	198	75	574	207	65
14	हिमाचल प्रदेश	179	178	1	11	155	24	7
15	जम्मू-कश्मीर	322	204	118	46	140	182	8
16	झारखंड	705	650	55	12	583	122	0
17	कर्नाटक	1375	1234	141	187	1207	168	47
18	केरल	612	575	37	111	555	57	20
19	लद्दाख	17	11	6	0	4	13	0
20	लक्षद्वीप	4	3	1	0	3	1	0
21	मध्य प्रदेश	2028	1611	417	397	1779	249	153
22	महाराष्ट्र	2190	2431	-241^	580	2197	-7^	144
23	मणिपुर	62	42	20	8	16	46	6
24	मेघालय	99	71	28	16	135	-36^	86
25	मिजोरम	74	47	27	32	38	36	8
26	नागालैंड	34	30	4	8	39	-5^	0
27	ओडिशा	1041	898	143	156	748	293	97
28	पुडुचेरी	36	34	2	0	27	9	0
29	पंजाब	804	613	191	21	635	169	33
30	राजस्थान	1654	1385	269	352	1187	467	129
31	सिक्किम	35	20	15	6	15	20	1
32	तमिलनाडु	1369	1247	122	40	1377	-8^	6
33	तेलंगाना	560	552	8	21	472	88	5
34	त्रिपुरा	133	83	50	27	80	53	33
35	उत्तर प्रदेश	3700	2848	852	329	2555	1145	238
36	उत्तराखंड	298	253	45	66	212	86	3
37	पश्चिमी बंगाल	1105	887	218	117	473	632	26
कुल		**25771**	**22045**	**3726**	**3199**	**19730**	**6041**	**2636**

*न्याय विकास पोर्टल के अनुसार

**कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अलग से स्वीकृत पद संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई

^न्यायालय हॉलों/आवासीय इकाइयों की कुल उपलब्धता पहले ही स्वीकृत संख्या से अधिक है ।

उपाबंध-ख

हरियाणा के लिए पिछले दस वर्षों के लिए जारी निधि विवरण

क्रम सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2015-2016	50.00
2.	2017-2018	15.00
3.	2018-2019	11.91
4.	2019-2020	14.06
5.	2020-2021	22.00
6.	2023-2024	20.10
	कुल	**133.07**

****